रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2015/चैत्र 23, 1937
No. 127] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2015/CHAITRA 23, 1937

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

सं. सीईआई/1/2/2015.—केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2014 के प्रारूप की बाबत, विद्युत (पिछले प्रकाशन के लिए कार्यविधि) नियम, 2005 के नियम 3 के उपनियम (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उप धारा (3) के अधीन यथाआपेक्षित एक लोकसूचना 28 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित की गयी थी जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से 45 दिन की अवधि के समाप्त होने अर्थात् 12 नवम्बर, 2014 को या उससे पहले आक्षेप या सुझाव मांगे गये थे, जिस तारीख को उक्त लोकसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त लोकसूचना से युक्त उक्त प्रकाशन की प्रतियां 28 सितम्बर, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझाव पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 177 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2015 है।

2. ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप विनियम (1) में,–

(क) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(च क) "चार्ड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर" से समुचित सरकार द्वारा विनियम 5 क में निर्दिष्ट रूप से यथाअधिसूचित किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है;';

(ख) खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(ध क) "खान विद्युत निरीक्षक" से खानों और तेल क्षेत्रों के इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापनों के प्रयोजन के लिए धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा उस हैसियत में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है;';

(ग) खण्ड (फ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(फ) "ज्वलनरोधी परिसर" से ऐसा परिसर अभिप्रत है जिसमें उसके भाग में रखे जाने वाले विस्फोटक जो वातावरण को जला सकते हैं और जो किसी संमिश्र विस्फोटक के आंतरिक विस्फोट के दौरान दबाव के साथ बने रहते हैं तथा जो परिसर के आस-पास के वातावरण में विस्फोट के पारेषण को रोकता है;';

(घ) खण्ड (य क) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(य क क) "निरीक्षण अधिकारी" से इन विनियमों के अधीन इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापनों के परिक्षण और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी अभिप्रेत है;';

(ड) खण्ड (य ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

"(य ग) सुरक्षित आंतरिक परिपथ" से उसकी सामान्य प्रचालन और त्रुटि की वह दशाएं जैसा कि मानक ब्यूरो में विनिर्दिष्ट है के अधीन प्रचालित कोई परिपथ सूचित है, जो उपरोक्त कही गयी दशाओं में प्रचालन के दौरान किसी चिंगारी, ज्वलन या किसी तापीय प्रभाव के प्रकट होने के समय, किसी प्रस्तुत गैसीय विस्फोटक वातावरण में ज्वलन कारित करने के योग्य नहीं है;';

(य ग क) "आंतरिक रूप से सुरक्षित यंत्र" से ऐसे विद्युत यंत्रों का सूचक है जिसमें सभी परिपथ आंतरिक रूप से सुरक्षित परिपथ हैं;';

(च) खण्ड (य ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(य र क) "अधिसूचित वोल्टेज" से समुचित सरकार द्वारा विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन स्व-प्रमाणन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित वोल्टेज अभिप्रेत है;';

(छ) खण्ड (य ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(य ब क) "स्व-प्रमाणन" से आपूर्तिकर्ता या स्वामी द्वारा विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन यथाअपेक्षित विहित प्ररूप में जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;';

3. उक्त विनियम में विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5. इलैक्ट्रीकल सुरक्षा अधिकारी – (1) विद्युत के सभी आपूर्तिकर्ता जिसके अंतर्गत उत्पादन कंपनियां और वितरण कंपनियां भी हैं इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संगठन में विद्युत केंद्रों,

IndiaCode

उपकेंद्रों, पारेषण और वितरण लाइनों के संनिर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए एक इलैक्ट्रिकल सुरक्षा अधिकारी को पदाभिहित करेंगे।

(2) इलैक्ट्रिकल सुरक्षा अधिकारी इलैक्ट्रिकल इंजिनियरी में डिग्री के साथ इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापनों के प्रचालन और रखरखाव में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो।

(3) उप विनियम (1) के अधीन पदाभिहित इलैक्ट्रिकल सुरक्षा अधिकारी इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के अंतराल पर ऐसे प्रतिष्ठापनों के सुसंगत मानकों के अनुसार आवधिक परिक्षण और निरिक्षण को पूरा करेगा, और यथास्थिति अनुसूची-IV के प्रारूप I या प्रारूप II या प्रारूप III में उसका रिकार्ड रखेगा और स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत किए गए सुरक्षा अपेक्षाओं की सिफारिशों को उनके अनुपालन की तारीख के साथ रजिस्टर रखेगा, उसके पश्चात् उसे इलैक्ट्रिकल निरिक्षक को उपलब्ध कराएगा, जब और जैसे वह उसकी अपेक्षा करे।

(4) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारखाने सहित प्रत्येक इलेक्ट्रिकल संस्थापना और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) में यथा परिभाषित खान और तेल क्षेत्रों के लिए, जहां 250 किलोवाट से ज्यादा का विद्युत लोड कनेक्ट हो, वहां यथास्थिति, प्रतिष्ठापन का स्वामी अथवा कारखाने या खान का प्रबंधमंडल, उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने वाले इलेक्ट्रिकल सुरक्षा अधिकारी को अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए सुरक्षा उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अभिहित करेगा, जो सुसंगत मानकों के अनुसार सिफारिश किए गए आवधिक परीक्षण करेगा और अधिकतम एक वर्ष के अंतराल पर ऐसे प्रतिष्ठान का निरीक्षण करेगा और इन विनियमों की अनुसूची IV के, यथास्थिति, प्ररूप-I या प्ररूप-II या प्ररूप-III में, उनका अभिलेख रखेगा; और परीक्षण रिपोर्टों और स्वामी द्वारा भली भांति स्वीकृत सुरक्षा से संबंधित सिफारिशों और बाद में किए गए उनके अनुपालनों का एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा जब भी आवश्यक होगा, ऐसे अभिलेखों को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को उपलब्ध कराएगा।"

4. उक्त विनियमों में, विनियम 5 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"5 (क) चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर-

समुचित सरकार इन विनियमों के विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन स्व-प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठापनों के स्वामी या आपूर्तिकर्ता अथवा उपभोक्ता की सहायता करने के लिए विनियम (5) के उप-विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने वाले विद्युत सुरक्षा अभियंताओं को प्राधिकृत कर सकेगी।"।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 30 के उप विनियम (2) से (5) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता से संबंधित अधिसूचित समान अथवा उससे कम वोल्टेज के प्रतिष्ठानों की समय-समय पर जांच और परीक्षण आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा और स्व-प्रमाणित किया जाएगा।

(3) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता से संबंधित अधिसूचित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा:

परंतु आपूर्तिकर्ता या स्वामी या उपभोक्ता को समुचित सरकार के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा अपने प्रतिष्ठान का निरीक्षण और परीक्षण कराने का विकल्प प्राप्त होगा।

परंतु यह और कि खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे के प्रत्येक इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठान का समुचित सरकार के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा कालिकत: निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा।

(4) जहां, यथास्थति, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार, द्वारा आपूर्तिकर्ता को प्रतिष्ठान का निरीक्षण और परीक्षण करने का निदेश दिया जाता है, वहां ऐसा आपूर्तिकर्ता अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट प्ररूप I, II और III में संबंधित उपभोक्ता को प्रतिष्ठान की स्थिति से अवगत कराएगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(5) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अथवा अभिलेख में विभिन्नता, प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, को स्वीकार कर सकता है और रिपोर्ट के अनुसार बताई गई त्रुटियों को दूर करने की सिफारिश कर सकता है।

(6) यदि किसी भी प्रतिष्ठान का स्वामी, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियों को इसके लिए निर्धारित समय-सीमा में दूर करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रतिष्ठानों की इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के निर्देश पर विद्युत आपूर्ति काट दी जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को कम से कम 48 घंटे का नोटिस प्रतिष्ठान के स्वामी को देना होगा :

परंतु उस मामले में प्रतिष्ठान को विद्युत आपूर्ति काटी नहीं जाएगी, यदि अधिनियम की धारा 162 की उप धारा (2) के अधीन अपील की गई है और अपीलीय प्राधिकारी ने बिजली काटने के आदेशों पर रोक लगा दी है।

(7) सभी प्रतिष्ठानों के स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिष्ठानों को जोखिम मुक्त स्थिति में अनुरक्षित तथा संचालित करें और जैसाकि विनिर्माता अथवा भारतीय मानक ब्यूरो की प्रथा के सुसंगत कोड द्वारा सिफारिश की गई हो।"

6. उक्त विनियमों में, विनियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"32. विद्युत उत्पादक युनिटों की स्थापना और जांच:- क्षमता जिससे अधिक विद्युत उत्पादक युनिटों, जिनमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने वाली विद्युत उत्पादक युनिटें शामिल हैं, की अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार चालू होने से पहले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता होगी।"

7. उक्त विनियमों में, विनियम 42 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"42. अर्थ लीकेज के बचाव के उपकरण:- 250 वॉट से अनधिक तथा 2 कि.वाट से कम क्षमता के विद्युत प्रतिष्ठान और 250 वो. से अनधिक वोल्ट वाले प्रतिष्ठान, जिन पर अधिनियम की धारा 54 के उपबंध लागू नहीं होते, को छोड़कर, प्रत्येक विद्युत प्रतिष्ठान को विद्युत की आपूर्ति अर्थ लीकेज सुरक्षा उपकरण द्वारा नियंत्रित की जाएगी, जिसकी अधिकतम अर्थ लीकेज थ्रेशोल्ड घरेलू कनेक्शनों के लिए 30 मिलिएम्प और अन्य सभी प्रतिष्ठानों के लिए 100 मिलिएम्प से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि अर्थ फॉल्ट अथवा करंट की लीकेज के घटित होने पर आपूर्ति को तत्काल काटा जा सके ;

परंतु ऐसे अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइसों की प्रोटेक्टिव डिवाइस वाली सिरोपरि आपूर्ति लाइनों के लिए आवश्यकता नहीं होगी, जो आपूर्ति ट्रांसफार्मरों के न्यूट्रल से प्रभावी रूप से बंधी है और विनियम 73 के अनुरूप है।"

8. उक्त विनियमों में, विनियम 43 के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्:-

"43. विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदन और स्व-प्रमाणन-

(1) अधिसूचित और इससे कम वोल्टेज के प्रत्येक वैद्युत संस्थापन का निरीक्षण, जांच की जाएगी और आपूर्ति शुरू करने से पहले या छह महीने अथवा इससे ज्यादा समय से बंद संस्थापन को पुन: शुरू करने के लिए इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सूचना उपायों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए संस्थापन के स्वामी द्वारा उसे स्व-प्रमाणित किया जाएगा तथा ऐसा स्वामी वैद्युत निरीक्षक को स्व-प्रमाणन की रिपोर्ट अनुसूची-IV के, यथास्थिति, प्ररूप-I या प्ररूप-II या प्ररूप-III में, प्रस्तुत करेगा,

(2) वोल्टेज जिसके संबंध में वैद्युत प्रतिष्ठानों की जिसमें कि आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता का प्रतिष्ठान शामिल है, विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण और जांच की जाएगी, को समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा!

(3) अधिसूचित वोल्टेज से अधिक के प्रत्येक वैद्युत संस्थापन और उत्पादक केंद्रों के सभी उपकरणों और विनियम 32 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट क्षमता से अधिक के प्रतिष्ठानों को आपूर्ति शुरू करने से पहले अथवा छह महीने या इससे अधिक समय से बंद प्रतिष्ठान को पुन: शुरू करने के लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए इन विनियमों के अंतर्गत वैद्युत निरीक्षक द्वारा जांचा जाएगा और निरीक्षण किया जाएगा:

परंतु कि स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के पास समुचित सरकार के वैद्युत निरीक्षक द्वारा उसके प्रतिष्ठान की निरीक्षण और जांच का विकल्प है!

(4) वैद्युत निरीक्षक उप विनियम (1) में संदर्भित स्व-प्रमाणन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, आपूर्तिकर्ता या स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर सकेगा और प्रत्येक मामले में परिस्थिति की अपेक्षा के अनुसार परिवर्तन अभिलिखित कर सकेगा और रिपोर्ट के अनुसार कमियों को दूर करने की सिफारिश कर सकेगा :

परंतु यह और कि अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वैद्युत प्रतिष्ठान जिस में खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे के प्रत्येक वैद्युत प्रतिष्ठान शामिल हैं, को उपविनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट समुचित सरकार के वैद्युत निरीक्षक द्वारा जांचा एवं निरीक्षित किया जाएगा।

(5) छह महीने से अधिक समय से काटी गई अधिसूचित वोल्टेज से अधिक के संस्थापन में आपूर्ति को शुरू अथवा पुन: शुरू करने के लिए वैद्युत निरीक्षक को आवेदन करने से पहले आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत आपूर्ति की उसकी लाइनें या अधिसूचित वोल्टेज से अधिक के उसके उपकरण सही स्थान पर लगे हैं, ठीक से जुड़े हुए हैं और ये पूरे हैं तथा इसकी जांच कर ली गई है और आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्युत की आपूर्ति निरीक्षण की आवश्यकता की वोल्टेज वाले प्रतिष्ठान में इन विनियमों के अंतर्गत तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि विनियमों 12 से 29, विनियम 33 से 35, विनियम 44 से 51 और विनियम 55 से 77 के उपबंधों का पालन न कर लिया गया हो और उसने वैद्युत निरीक्षक से लिखित में अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो :

परंतु आपूर्तिकर्ता विनियम 46 में विनिर्दिष्ट परीक्षणों के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त विद्युत आपूर्ति लाइनों या उपकरणों को ऊर्जित कर सकता है और सफलतापूर्वक परीक्षण के पश्चात, स्वामी कंडक्टर्ज अथवा टावरों की चोरी को रोकने के लिए इन विनियमों के सभी उपबंधों के विद्युत लाइन के एक भाग को ऊर्जित कर सकता है

(6) अधिसूचित वोल्टेज से अधिक के किसी संस्थापन का स्वामी अपने संस्थापन या वहां अतिरिक्त जुड़ाव के अनुमोदन के लिए वैद्युत निरीक्षक को आवेदन करने से पहले ओवरहैड लाईन के अतिरिक्त, प्रत्येक सर्किट या अतिरिक्त जुड़ाव की जांच करेगा और अपनी संतुष्टि करेगा कि वे विनियम 46 के उप-विनियम (1) में निर्धारित परीक्षण वोल्टेज के अनुसार लागू किए जा सकते हैं और इस प्रकार किए गए परीक्षणों को पूर्णतया दर्ज करेगा और इन्हें वैद्युत निरीक्षक को अग्रेषित करेगा:

परंतु वैद्युत निरीक्षक ऐसे स्वामी को इस प्रकार के परीक्षण जिन्हें वह जरूरी समझता हो, करने हेतु निर्देश दे सकता है या किसी विशेष उपकरण के संबंध में विनिर्माता के प्रमाणित परीक्षणों को इस विनियम में अपेक्षित परीक्षणों के स्थान पर स्वीकार कर सकता है।

(7) किसी भी संस्थापन का स्वामी जो अपने संस्थापन में कोई वृद्धि अथवा फेरबदल करता है तो वह उक्त फेरबदल या वृद्धि को शामिल करते हुए अपने उपकरणों या विद्युत आपूर्ति लाइनों में आपूर्ति को तब तक नहीं जोड़ेगा, जब तक कि इस वृद्धि या फेरबदल को, यथास्थिति, विद्युत निरीक्षक द्वारा लिखित में अनुमोदित नहीं किया गया हो या यह संस्थापन के स्वामी द्वारा स्व-प्रमाणित नहीं किया गया हो।

9. उक्त विनियमों में, सीमान्त शीर्ष और उप-विनियम (1), विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"44. अधिसूचित वोल्टेज से अधिक की वोल्टेज पर विद्युत का प्रयोग:

(1) वैद्युत निरीक्षक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति शुरू करने या जहां छह महीने और उससे भी अधिक समय से आपूर्ति काटी गई है वहां अधिसूचित वोल्टता से अधिक वोल्टता पर आपूर्ति को पुन: आरंभ करने के लिए उपभोक्ता को तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि-

(क) सभी सुचालक और यंत्र उपभोक्ता के परिसर में इस प्रकार लगाए गए हों कि वे पदेन व्यक्ति को छोड़कर सभी की पहुंच से बाहर हों और उक्त सुचालकों और यंत्रों के संबंध में सभी प्रचालन एक पदेन व्यक्ति द्वारा ही किए जाएं;

(ख) उपभोक्ता द्वारा एक अलग भवन उपलब्ध करवा दिया है और उसके अनुरक्षण या डिजाईन और स्थान पर बनी सहमति के अनुसार एक मौसमानुकूल और अग्निरोधक बंद भवन के लिए सहमत हों, जो कि आपूर्तिकर्ता के उसके उपकरण और मीटर संबंधित उपस्कर रखने के लिए हर समय पहुंचगम्य हो, या फिर जहां अलग से भवन या चारदीवारी का प्रावधान न हो, उपभोक्ता ने आपूर्तिकर्ता के उपर्युक्त उपकरणों को किसी अन्य भाग में अपने उपकरणों से अलग न कर लिया हो;

बशर्ते कि इस प्रकार का पृथक्कीकरण अग्निरोधक दीवारों के प्रावधानों द्वारा किया जाएगा, यदि वैद्युत निरीक्षक इसे आवश्यक समझे तो :

इस के अतिरिकत, बशर्ते कि आउटडोर प्रतिष्ठान के मामले में, उपभोक्ता स्वयं ही आपूर्तिकर्ता से संबंधित उक्त उपकरण को उपयुक्त रूप से पृथक करेगा ;

(ग) सभी ध्रुवीय प्रकार के उप-केंद्र विनियम 50 के अनुसार निर्मित एवं अनुरक्षित हैं" ।

1686.57/15-2

10. उक्त विनियमों में, विनियम 63 में –

(क) उप-विनियमों (1) से (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखे जाएंगे अर्थात:-

"(1) ओवरहैड लाइन के परिनिर्माण के पश्चात्, चाहे उस पर इंसुलैटिड पदार्थ लगाया गया हो या नहीं या भूमिगत केबल पर, किसी भी समय यदि कोई व्यक्ति एक नए भवन या संरचना या फ्लड बैंक को ऊंचा करना चाहे, सड़क तल ऊंचा करने का या स्थायी अथवा अस्थायी किसी अन्य प्रकार का कार्य करने के लिए या अंदर अथवा ऊपर कोई भवन या संरचना या फलड बैंक या सड़क में कोई स्थायी अथवा अस्थायी संवर्धन या बदलाव को प्रस्तावित करता है, तो वह तथा ठेकेदार जिसे उस उत्थापन, संवर्धन या बदलाव के लिए नियुक्त किया है, अपने ऐसा करने के इरादों की लिखित जानकारी आपूर्तिकर्ता या स्वामी और वैद्युत निरीक्षक को लिखित रूप में देगा और साथ ही प्रस्तावित भवन, संरचना, बाढ़ किनारों, सड़क या अन्य संवर्धन या बदलाव और निर्माण के दौरान आवश्यक चबूतर को दर्शाता हुआ एक माप रेखाचित्र उपलब्ध कराएगा।

(2) इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर, आपूर्तिकर्ता या स्वामी जांच करेगा कि, -

(क) क्या संदर्भित लाइन या भूमिगत केबल इन विनियमों के प्रावधानों और तत् समय प्रवृत अन्य किसी विधि के अनुसार बिछाई गई थी;

(ख) क्या यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है;

(ग) क्या यह मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है;

(घ) क्या ऐसा व्यक्ति सिरोपरि लाईन या भूमिगत केबल के फेरबदल की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था और यदि हां तो ऐसे व्यक्ति को सिरोपरि लाईन या भूमिगत केबल के फेरबदल में उपगत किये जाने वाले व्यय की लागत के साथ तीस दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाए और उसे सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर प्राक्कलित लागत की रकम आपूर्तिकर्ता या स्वामी के पास जमा करवाना आवश्यक होगा।"

(3) यदि ऐसा व्यक्ति सिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल में फेरबदल की आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी द्वारा आंकी गई लागत को और यहां तक कि इस लागत के भुगतान के संबंध में दायित्व को चुनौती देता है तो विवाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा जो उपनियम (4) के अनुसरण में दोनों पक्षों की विवाद पर सुनवाई करने के पश्चात् निश्चिय करेगा ।

(4) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर निम्नलिखित के आधार पर सिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल में फेरबदल की लागत का आकलन करेगा, अर्थात्:-

(क) सामग्री की अवमूल्यित लागत को जमा करने के बाद फेरबदल में उपयोग की गई सामग्री की लागत जो विद्यमान लाइन अथवा भूमिगत केबल से उपलब्ध होगी;

(ख) फेरबदल करने में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी;

(ग) पर्यवेक्षण प्रभार तथा इस प्रकार के फेरबदल के संबंध में अधिनियम की धारा 67 के उपबंधों के अनुपालन में आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी द्वारा उपगत किया गया प्रभारें" ;

(ख) उप नियम (6) और (7) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

" (6) ऐसी इमारत, अवसंरचना, तटबंध, सड़क के ऊपर कोई कार्य और कोई विस्तार अथवा फेरबदल तब तक आरंभ नहीं होगा या जारी नहीं रखा रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर यह प्रमाणित न कर दे कि उक्त निर्माण के दौरान अथवा उसके पश्चात् विनियम 58,60 तथा 61 और विनियम 76 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए :

परंतु इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, यदि इस बात से संतुष्ट है कि सिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल को इस प्रकार सुरक्षित किया गया है कि इससे लोगों अथवा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, यह प्रमाणित कर सकता है कि सिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल में फेरबदल से पहले अथवा अस्थाई विस्तार अथवा फेरबदल के मामले में, सिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल में फेरबदल के बिना कार्य आरंभ किया जा सकता है।

(7) पूर्तिकार अथवा स्वामी, ऐसी जमाराशि प्राप्त होने के दो माह के भीतर अथवा ऐसी लंबी अवधि के भीतर जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं अनुज्ञा दे सकेगा, सिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल में इस प्रकार से फेरबदल करेगा कि निर्माण के दौरान या पश्चात विनियम 58, 60, 61 और विनियम 76 के उपबंधों का उल्लंघन न हो"।

11. उक्त विनियमों में, विनियम 65 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) सब-स्टेशन की चारदीवारी अथवा 650 वो. से अधिक वोल्ट की विद्युत आपूर्ति लाइनों अथवा इनकी टावर अवसंरचना से 300 मी. के अंदर ऐसे सब-स्टेशन अथवा विद्युत आपूर्ति लाइनों अथवा टावर अवसंरचना के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना और खनन पट्टा क्षेत्रों के मामले में; खानों के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए ब्लास्टिंग का कार्य नहीं किया जाएगा।"

12. उक्त विनियमों में, विनियम 95 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"95. नोटिस – (1) प्रत्येक वर्ष की फरवरी के पहले दिन अथवा इससे पहले, प्रत्येक खान अथवा तेल क्षेत्र के संबंध में, यंत्रों का साइज तथा प्रकार के साथ उपयोग की परिस्थितियों के संबंध में विवरण दर्शाने वाला रिटर्न जैसी भी आवश्यकता हो, खान इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को विनियम 94 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुसूची-XI अथवा जैसा भी मामला हो, अनुसूची-XII, जो भी लागू हो, में उपबंधित प्ररूप में भेजा जाएगा।"

(6) विनियम 94 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, यंत्रों को प्रतिष्ठापित करने और उनकी उपस्थिति का ब्यौरा देते हुए खान और तेल क्षेत्र में किन्ही नये प्रतिष्ठानों के उपयोग में लाये जाने के आशय की कम से कम 7 दिन पहले लिखित नोटिस खान के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी देंगे;

परंतु अधिक 650 वोल्ट तक वाले मौजूदा प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार के विस्तार अथवा फेरबदल के मामले में, किसी भी ऐसे विस्तार अथवा फेरबदल को उपयोग में लाने से पहले, खान के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को तत्काल लिखित नोटिस भेजा जाएगा:

परंतु यह और कि यह विनियम दूरसंचार अथवा सिग्नलिंग उपकरणों पर लागू नहीं होगा।"

13. उक्त विनियमों में, विनियम 99 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"99. अर्थ करने का तरीका- किसी खान में जहां अर्थ करना आवश्यक हो, यह कार्य खान की सतह पर स्थित भू-संपर्क प्रणाली से कनेक्ट करके और खान के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा यथा अनुमोदित तरीके से किया जाएगा।"

14. उक्त विनियमों में, विनियम 105 में –

(क) उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा अर्थात :-

"(1) खान अथवा तेल-क्षेत्र की सप्लाई काटने के लिए खान के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित स्थान पर उचित तौर से संनिर्मित स्विचगियर मुहैया कराया जाएगा;"

(ख) उप विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) यदि खान का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, सुरक्षा के हित में आवश्यक मानता है तो वह उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट यंत्र को इस प्रकार व्यवस्थित करने के निर्देश दे सकता है कि प्रणाली के किसी भी खंड में किसी फाल्ट के होने के मध्यधीन रखते हुए विद्युत आपूर्ति स्वत: काटा जा सके"।

(ग) उप विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) यदि खान के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा, उचित समझे तो मोटर को स्विचगियर के जरिए कंट्रोल किया जाएगा ताकि ओवर करेंट, ओवर वोल्टेज तथा सिंगल फेजिंग की स्थिति में विद्युत आपूर्ति स्वत: कट जाए"।

15. उक्त विनियमों में, विनियम 110 के उप विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(9) किसी ऐसी विद्युत आपूर्ति काटना या पुनयोजन लॉग शीट में नोट किया जाएगा जिसे अनुसूची XIII में निर्धारित प्रपत्र में रखा जाएगा और खान इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;"

16. उक्त विनियमों में, विनियम 115 के उपविनियम (1) में शब्द "निरिक्षक" जहां कहीं भी आता है के स्थान पर "खान इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर" शब्द रखा जाएगा।

17. उक्त विनियमों में, विनियम 116 के उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) इलैक्ट्रिकल इंस्पैक्टर अथवा खान इलैक्ट्रिकल इंस्पैक्टर आदेश द्वारा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से विनियम 12 से 17, विनियम 28, विनियम 35 के उप विनियम (2) (3) और (5), विनियम 36 का उप विनियम (3), विनियम 37 के खंड (i) से (iv), विनियम 41 का खंड (xii), विनियम 43, विनियम 44 का उप विनियम (2), विनियम 46, विनियम 52 से 54, विनियम 57 से 61, विनियम 65, विनियम 72, विनियम 74, विनियम 78 से 91, विनियम 102, विनियम 107 का उप विनियम (6), (8) और (10) और विनियम 114 में निदिर्ष्ट मामलों के संबंध में विचलन की अनुमति दे सकता है"।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के अधीन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अथवा खान इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर द्वारा विचलन की अनुमति देने वाला प्रत्येक आदेश केंद्रीय सरकार अथवा जैसा भी मामला हो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसे विचलनों को अननुज्ञात अथवा उन्हें पुनरीक्षित कर सकती है।"

18. उक्त विनियमों में, निरीक्षण रिपोर्ट के प्ररूपों से संबंधित अनुसूची- IV में-

(क) उप-शीर्षक "प्ररूप-1 के अधीन (250 वो. तक की तथा इसके सहित के वोल्ट का प्रतिष्ठापन)"

(i) भाग ---------- के स्थान पर

"रिपोर्ट सं..... निरीक्षण की तारीख.....

पिछले निरीक्षण की तारीख....."

के लिए

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"रिपोर्ट सं.....इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण अथवा स्वामी द्वारा

स्व-प्रमाणन की तारीख.....

पिछले निरीक्षण अथवा स्व-प्रमाणन की तारीख....."

(ii) सारणी के पश्चात्, भागके स्थान पर

"निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर/

नाम.....

पदनाम.....

फाईल सं.....

मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रति.....के लिए प्रेषित",

निम्नलिखत रखा जाएगा, अर्थात्:-

"निरीक्षण अधिकारी/स्व-प्रमाकत प्रमाणकर्ता पूर्तिकार अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

फाईल सं.....

IndiaCode

इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर/मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रति..... के लिए प्रेषित",

(ख) उप-शीर्षक "प्ररूप-II के अधीन (650 वो. तक की तथा इसके सहित और 250 वो. से अधिक वोल्ट का प्रतिष्ठापन)", -

(i) भाग --------- के लिए

"रिपोर्ट सं.....निरीक्षण की तारीख.....

पिछले निरीक्षण की तारीख....."

के स्थान पर

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"रिपोर्ट सं.....इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण अथवा स्वामी द्वारा स्व-प्रमाणन की तारीख.....

पिछले निरीक्षण अथवा स्व-प्रमाणन की तारीख....."

(ii) सारणी के पश्चात्, ---------- भाग के स्थान पर

"निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

फाईल सं.....

मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रति.....के लिए प्रेषित",

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"निरीक्षण अधिकारी/स्व-प्रमाणकर्ता पूर्तिकार अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

फाईल सं. ----------

इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर/मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रति.....के लिए प्रेषित",

(ग) उप-शीर्षक "प्ररूप- III (650 वो. से अधिक वोल्ट का प्रतिष्ठापन)

1680 GI/15-3

IndiaCode

(i) भाग---------- के लिए

"रिपोर्ट सं.....निरीक्षण की तारीख.....

पिछले निरीक्षण की तारीख....."

के स्थान पर

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"रिपोर्ट सं.....इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण अथवा स्वामी द्वारा स्व-प्रमाणन की तारीख.....

पिछले निरीक्षण या स्व-प्रमाणन की तारीख "....."

(ii) सारणी के पश्चात्, भाग ---------- के लिए

"निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर/नाम.....

पदनाम.....

फाईल सं.....

मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रति..... के लिए प्रेषित",

के स्थान पर

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"निरीक्षण अधिकारी/स्व-प्रमाणकर्ता पूर्तिकार अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

फाईल सं.....

इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर/मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रति.....के लिए प्रेषित",

[विज्ञापन-III/4/असा./187जी/15]

पी.डी. सिवाल, सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिरण

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं. सीईआई/1/59/के.वि.प्रा./ईआई तारीख 20 सितंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF POWER

(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2015

No. CEI/1/2/2015.—Whereas the Central Electricity Authority published a public notice on the 28th September, 2014 in respect of the draft of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Amendment Regulations, 2014, as required under sub-section (3) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days, i.e., on or before the 12th November, 2014, from the date on which the copies of the publication containing the said public notice were made available to the public;

And whereas copies of the said publication containing the said public notice were made available to the public on the 28th September, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been duly considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 177 read with section 53 of the said Act, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Amendment Regulations, 2015.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations 2010 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), —

(A) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

'(fa) "Charted Electrical Safety Engineer" means a person as notified by the Appropriate Government as referred to in regulation 5A;';

(B) after clause (s), the following clause shall be inserted, namely:—

'(sa) "Electrical Inspector of Mines" means a person appointed as such by the Appropriate Government under sub-section (1) of section 162 for the purpose of electrical installations of mines and oil fields;';

(C) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

'(v) "flameproof enclosure" means an enclosure in which the parts which can ignite an explosive atmosphere are placed and which can withstand the pressure developed during an internal explosion of an explosive mixture and which prevents the transmission of explosion to the explosive atmosphere surrounding the enclosure;';

(D) after clause (za), the following clause shall be inserted, namely:—

'(zaa) "Inspecting Officer" means officer responsible for carrying out the testing and inspection of electrical installations under these regulations;';

(E) for clause (zc), the following shall be substituted, namely:—

'(zc) "intrinsically safe circuit" shall denote any circuit operating under its normal operation and specified fault condition as specified in the Bureau of Indian Standards, which when exposed to any spark, ignition, or any thermal effect whilst operating under the above said conditions, is not capable of causing ignition of a given explosive gas atmosphere;

(zca) "intrinsically safe apparatus" shall denote electrical apparatus in which all the circuits are intrinsically safe circuits;';

(F) after clause (zk), the following clause shall be inserted, namely:—

'(zka) "notified voltage" means a voltage notified by the Appropriate Government for the purpose of self-certification under regulation 30 and regulation 43;';

(G) after clause (zw), the following clause shall be inserted, namely:—

'(zwa) "self-certification" means a certificate issued by a supplier or the owner in the prescribed format as required under regulation 30 and regulation 43;'.

3. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:—

"5. Electrical Safety Officer.-(1) All suppliers of electricity including generating companies, transmission companies and distribution companies shall designate an Electrical Safety Officer for ensuring observance of safety measures specified under these regulations in their organisation, for construction, operation and maintenance of power stations, sub-stations, transmission and distribution lines.

(2) The Electrical Safety Officer shall be an Electrical Engineering degree holder with at least five years of experience in operation and maintenance of electrical installations.

(3) The Electrical Safety Officer designated under sub-regulation (1), shall carryout periodic tests as per the relevant standards and inspection of such installations for ensuring observance of safety measures specified under these regulations at intervals not exceeding one year, and keep a record thereof in Form I or Form II or Form III, as the case may be, of Schedule IV and test reports, and also keep a register of recommended safety requirements duly acknowledged by the owner with date and compliances thereafter; and such records shall be made available to the Electrical Inspector, as and when required.

(4) For every electrical installation including factory registered under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and mines and oil field as defined in the Mines Act, 1952 (35 of 1952), where more than 250 kW of electrical load is connected, the owner of the installation or the management of the factory or mines, as the case may be, shall designate Electrical Safety Officer having qualification and experience specified in sub-regulation (2), for ensuring the observance of the safety provisions laid under the Act and the regulations made thereunder, who shall carryout recommended periodic tests as per the relevant standards, and inspect such installation at intervals not exceeding one year, and keep a record thereof in Form I or Form II or Form III, as the case may be, of Schedule IV to these regulations; test reports and a register of recommendations in regard with safety duly acknowledged by owner; compliances made thereafter; and such records shall be made available to the Electrical Inspector, as and when required.".

4. In the said regulations, after regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:-

"5A. Chartered Electrical Safety Engineer.-The Appropriate Government may authorise Electrical Safety Engineers having the qualification and experience as specified in sub-regulation (2) of regulation 5 to assist the owner or supplier or consumer of electrical installations for the purpose of self-certification under regulation 30 and regulation 43.".

5. In the said regulations, for sub-regulations (2) to (5) of regulation 30, the following shall be substituted, namely:-

"(2) The periodical inspection and testing of installation of voltage equal to or below the notified voltage belonging to the supplier or consumer shall be carried out by the supplier or owner or consumer and shall be self certified.

(3) The periodical inspection and testing of installations of voltage above the notified voltage belonging to the supplier or consumer shall be carried out by the Electrical Inspector:

Provided that the supplier or owner or consumer has the option to get his installation inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government:

Provided further that the every electrical installations of mines, oil fields and railways shall be periodically inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government.

(4) Where the supplier is directed by the Central Government or the State Government, as the case may be, to inspect and test the installation, such supplier shall report on the condition of the installation to the consumer concerned in the Forms I, II and III as specified in Schedule-IV and shall submit a copy of such report to the Electrical Inspector.

(5) The Electrical Inspector may, on receipt of such report, accept the report submitted by the supplier or record variations as the circumstances of each case may require and may recommend that the defects may be ractified as per report.

(6) In the event of the failure of the owner of any installation to rectify the defects in his installation pointed out by the Electrical Inspector in his report and within the time indicated therein, such installation shall be liable to be disconnected under the directions of the Electrical Inspector after serving the owner of such installation with a notice for a period not less than forty eight hours:

Provided that the installation shall not be disconnected in case an appeal is made under sub section (2) of section 162 of the Act and the appellate authority has stayed the orders of disconnection.

(7) It shall be the responsibility of the owner of all installations to maintain and operate the installations in a condition free from danger and as recommended by the manufacturer or by the relevant codes of practice of the Bureau of Indian Standards.".

6. In the said regulations, for sub-regulations 32, the following regulation shall be substituted, namely:-

"32. Installation and testing of generating units.-The capacity above which generating units including generating units producing electricity from renewable sources of energy will be required to be inspected by the Electrical Inspector before commissioning, shall be as per the notification to be issued by the Appropriate Government under the sub-section (1) of section 162 of the Act.".

7. In the said regulations, for sub-regulations 42, the following regulation shall be substituted, namely:-

"42. Earth leakage protective device. –The supply of electricity to every electrical installation other than voltage not exceeding 250 V, below 2 kW and those installations of voltage not exceeding 250V, which do not attract provisions of section 54 of the Act, shall be controlled by an earth leakage protective device whose maximum earth leakage threshold for tripping should not exceed 30 milliamps for domestic connections and 100 milliamps for all other installations, so as to disconnect the supply instantly on the occurance of earth fault or leakage of current:

Provided that such earth leakage protective device shall not be required for overhead supply lines having protective devices which are effectively bonded to the neutral of supply transformers and conforming to regulation 73.".

8. In the said regulations, for regulations 43, the following shall be substituted, namely:-

"43. Approval by Electrical Inspector and self-certification. –(1) Every electrical installation of notified voltage and below shall be inspected, tested and shall be self-certified by the owner of the installation before commencement of supply or recommencement after shutdown for six months and above for ensuring observance of safety measures specified under these regulations and such owner shall submit the report of self-certification in the Form-I or Form-II or Form-III, as the case may be, of Schedule-IV to the Electrical Inspector.

(2) The voltage above which inspection and testing of electrical installations including installations of supplier or consumer shall be carried out by the Electrical Inspector shall be notified by the Appropriate Government.

(3) Every electrical installation of voltage above the notified voltage and all the apparatus of the generating stations and above the capacity specified under regulation 32, shall be required to be inspected and tested by the Electrical Inspector before commencement of supply or recommencement after shutdown for six months and above for ensuring observance of safety measures specified under these regulations:

Provided that the owner or supplier or consumer has the option to get his installation inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government.

(4) The Electrical Inspector may, on receipt of self-certification report referred to in sub-regulation (1), accept the report submitted by the supplier or owner and record variations as the circumstances of each case may require and may recommend that the defects may be rectified as recommended:

Provided further that every electrical installation covered under section 54 of the Act including every electrical installations of mines, oil fields and railways shall be inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government as specified in sub-regulation (3).

(5) Before making an application to the Electrical Inspector for permission to commence or recommence supply in installations above the notified voltage after an installation has been disconnected for six months, the supplier shall ensure that electric supply lines or apparatus of more than notified voltage belonging to him are placed in position, properly joined, and duly completed and examined, and the supply of electricity shall not be commenced by the supplier for installations of voltage needing inspection under these regulations unless the provisions of regulations 12 to 29, regulations 33 to 35, regulations 44 to 51 and regulations 55 to 77 have been complied with and the approval in writing of the Electrical Inspector has been obtained by him:

Provided that the supplier may energise the aforesaid electric supply lines or apparatus for the purpose of tests specified in regulation 46 and after successful testing, the owner may energise the section of a line to prevent theft of conductors or towers, subject to compliance of all the provisions of these regulations.

(6) The owner of any installations of voltage above the notified voltage shall, before making application to the Electrical Inspector for approval of his installation or additions thereto, test every circuit or additions thereto, other than

an overhead line, and satisfy himself that they withstand the application of the testing voltage set out in sub-regulation (1) of regulation 46 and shall duly record the results of such tests and forward them to the Electrical Inspector:

Provided that an Electrical Inspector may direct such owner to carry out such tests as he deems necessary or accept the certified tests of the manufacturer in respect of any particular apparatus in place of the tests required by this regulation.

(7) The owner of any installation who makes any addition or alteration to his installation shall not connect to the supply his apparatus or electric supply lines, comprising the said alterations or additions, unless and until such alteration or addition has been approved in writing by the Electrical Inspector or self-certified by the owner of the installation, as the case may be.".

9. In the said regulations, for the marginal heading and sub-regulation (1) regulations 44, the following shall be substituted, namely:-

"44. Use of electricity at voltage exceeding notified voltage.- (1) The Electrical Inspector shall not authorise the supplier to commence supply or where the supply has been discontinued for a period of six months and above, to recommence the supply at voltage exceeding notified voltage to any consumer unless—

(a) all conductors and apparatus situated on the premises of the consumer are so placed as to be inaccessible except to a designated person and all operations in connection with the said conductors and apparatus are carried out by a designated person;

(b) the consumer has provided and agrees to maintain a separate building or a locked weather proof and fire proof enclosure of agreed design and location, to which the supplier at all times shall have access for the purpose of housing his apparatus and metering equipment, or where the provision for a separate building or enclosure is impracticable, the consumer has segregated the aforesaid apparatus of the supplier from any other part of his own apparatus:

Provided that such segregation shall be by the provision of fire proof walls, if the Electrical Inspector considers it to be necessary:

Provided further that in the case of an outdoor installation the consumer shall suitably segregate the aforesaid apparatus belonging to the supplier from his own;

(c) all pole type sub-stations are constructed and maintained in accordance with regulation 50.".

10. In the said regulations, in regulations 63,-

(a) for sub-regulations (1) to (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(1) If at any time subsequent to the erection of an overhead line, whether covered with insulating material or not or underground cable , any person proposes to erect a new building or structure or flood bank or to raise any road level or to carry out any other type of work whether permanent or temporary or to make in or upon any building, or structure or flood bank or road, any permanent or temporary addition or alteration, such person and the contractor whom he employs to carry out the erection, addition or alteration, shall, give intimation in writing of his intention to do so, to the supplier or owner and to the Electrical Inspector and shall furnish therewith a scale drawing showing the proposed building, structure, flood bank, road or any addition or alteration and scaffolding thereof required during the construction.

(2) On receipt of such intimation, the supplier or owner shall examine,-

(a) whether the line or underground cable under reference was laid in acordance with the provisions of these regulations and any other law for the time being in force;

(b) whether it is technically feasible;

(c) whether it meets the requirement of Right of Way (ROW);

(d) whether such person was liable to pay the cost of alteration of the overhead line or underground cable and if so, issue a notice within a period of thirty days, to such person together with an estimate of the cost of the expenditure likely to be incurred to so alter the overhead line or underground cable and require him to deposit, within thirty days of the receipt of the notice, with the supplier or owner, the amount of the estimated cost.

(3) If such person disputes the cost of alteration of the overhead line or underground cable estimated by the supplier or owner or even the responsibility to pay such cost, the dispute may be referred to the Electrical Inspector who shall after hearing both parties decide upon the issue in accordance with sub-regulation (4).

(4) The Electrical Inspector shall estimate the cost of alteration of overhead line or underground cable on the following basis, namely:-

(a) the cost of material used on the alteration after crediting the depreciated cost of the material which shall be available from the existing line or underground cable;

(b) the wages of labour employed in affecting the alteration;

(c) supervision charges and charges incurred by the supplier or owner in complying with the provisions of section 67 of the Act, in respect of such alterations.";

(b) for sub-regulations (6) and (7), the following shall be substituted, namely:-

"(6) No work upon such building, structure, flood bank, road and addition or alteration thereto shall be commenced or continued until the Electrical Inspector certifies that the provisions of regulations 58, 60 , 61 and regulation 76 should not be contravened either during or after the aforesaid construction:

Provided that the Electrical Inspector may, if he is satisfied that the overhead line or underground cable has been so guarded as to secure the protection of persons or property from injury, certify that the work may be executed prior to the alteration of the overhead line or underground cable or in the case of temporary addition or alteration, without alteration of the overhead line or underground cable.

(7) The supplier or owner shall, on receipt of such deposit, alter the overhead line or underground cable in such a way that it does not contravene the provisions regulations 58, 60 , 61 and regulation 76 either during or after such construction within two months from the date of such deposit or within such longer period as the Electrical Inspector may permit for reasons to be recorded in writing.".

11. In the said regulations, for sub-regulation (2) of regulation 65, the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

" (2) No blasting for any purpose shall be done within 300 metres from the boundary of a sub-station or from the electric supply lines of voltage exceeding 650 V or tower structure thereof without the written permission of the owner of such sub-station or electric supply lines or tower structures; and in case of mining lease hold area, without the written permission of the Electrical Inspector of Mines."

12. In the said regulations, for regulation 95, the following regulation shall be substituted, namely:-

"95. Notices.-(1) On or before the first day of February in every year, in respect of every mine or oil-field, returns giving the size and type of apparatus, together with such particulars in regard to circumstances of its use as may be required, shall be sent to the Electrical Inspector of Mines by the persons specified in regulation 94 in the Form provided in Schedule-XI or, as the case may be, Schedule-XII, whichever is applicable.

(2) The persons specified in regulation 94, shall also give to the Electrical Inspector of Mines not less than seven days notice in writing of the intention to bring into use any new installation in a mine or oil-field giving details of apparatus installed and its location:

Provided that in case of any additions or alterations to an existing installation of voltage not exceeding 650 V, immediate notice in writing shall be sent to the Electrical Inspector of Mines before such additions or alterations are brought into use:

Provided further that this regulation shall not apply to telecommunication or signaling apparatus.".

13. In the said regulations, for regulation 99, the following regulation shall be substituted, namely:-

" 99. Method of earthing.- Where earthing is necessary in a mine, it shall be carried out by connection to an earthing system at the surface of the mine and in such manner as may be approved by the Electrical Inspector of Mines.".

14. In the said regulations, in regulation 105,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Properly constructed switchgear for disconnecting the supply of electricity to a mine or oil-field shall be provided at a point approved by the Electrical Inspector of Mines.";

(b) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) If the Electrical Inspector of Mines, in the interest of safety considered it necessary, he may direct that the apparatus specified in sub-regulation (3) shall be so arranged as to disconnect automatically, from the supply, any section of the system subjected to a fault.";

1680 57/15-5

(c) for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

" (6) If the Electrical Inspector of Mines feels it appropriate, the motor shall be controlled by a switchgear to disconnect automatically the supply in the event of conditions of over-current, over-voltage and single phasing.".

15. In the said regulations, for sub-regulation (9) of regulation 110, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

" (9) Any such disconnection or reconnection of the supply shall be noted in the log sheet which shall be maintained in the form set out in Schedule-XIII and shall be reported to the Electrical Inspector of Mines.".

16. In the said regulations, in sub-regulation (1) of regulation 115, for the word "Inspector" wherever they occur, the words " Electrical Inspector of Mines" shall be substituted.

17. In the said regulations, for sub-regulation (2) of regulation 116, the following shall be substituted, namely:-

" (2) The Electrical Inspector or the Elecrical Inspector of Mines may, by order for reasons to be recorded in writing, allow deviations in respect of matters referred to in regulations 12 to 17, regulation 28, sub-regulation (2), (3) and (5) of regulation 35, sub-regulation (3) of regulation 36, clause (i) to (iv) of regulation 37, clause (xii) of regulation 41, regulation 43, sub-regulation (2) of regulation 44, regulation 46, regulations 52 to 54, regulations 57 to 61, regulation 65, regulation 72, regulation 74, regulations 78 to 91, regulation 102, sub-regulation (6), (8) and (10) of regulation 107 and regulation 114.

Explanation.- Every order allowing the deviations by the Electrical Inspector or the Electrical Inspector of Mines under this sub-regulation shall be placed before the Central Government or, as the case may be, the State Government which may disallow or revise such deviations.".

18. In the said regulations, in Schedule IV relating to Forms of Inspection Report,—

(a) under the sub-heading "FORM 1 (Installations of voltage up to and including 250V)",–

(i) for the portion—

"Report No. _____ Date of Inspection _____

Date of Last Inspection _____",

the following shall be substituted, namely:—

"Report No. _____ Date of inspection by Electrical Inspector or self-certification by owner _____

Date of last inspection or self-certification _____";

(ii) after the Table, for the portion——

"Signature of the Inspecting Officer/

Name

Designation

File No.

Copy forwarded to Chief Electrical Inspector for",

the following shall be substituted, namely:—

"Signature of the Inspecting Officer/ Self-certifying supplier or owner

Name

Designation

File No.

Copy forwarded to Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector for";

(b) under the sub-heading "FORM II (Installations of voltage level more than 250V up to and including 650V)",–

(i) for the portion—

"Report No. _____ Date of Inspection _____

Date of Last Inspection _____",

the following shall be substituted, namely:—

"Report No. _____ Date of inspection by Electrical Inspector or self-certification by owner _____

Date of last inspection or self-certification _____";

(ii) after the Table, for the portion——

"Signature of the Inspecting Officer/

Name

Designation

File No.

Copy forwarded to Chief Electrical Inspector for",

the following shall be substituted, namely:—

"Signature of the Inspecting Officer/ Self-certifying supplier or owner

Name

Designation

File No.

Copy forwarded to Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector for";

(c) under the sub-heading "FORM III (Installations of voltage exceeding 650V)",–

(i) for the portion—

"Report No. _____ Date of Inspection _____

Date of Last Inspection _____",

IndiaCode

the following shall be substituted, namely:—

"Report No. _____ Date of inspection by Electrical Inspector or self-certification by owner _____

Date of last inspection or self-certification _____";

(ii) after the Table, for the portion——

"Signature of the Inspecting Officer/

Name

Designation

File No.

Copy forwarded to Chief Electrical Inspector for",

the following shall be substituted, namely:—

"Signature of the Inspecting Officer/ Self-certifying supplier or owner

Name

Designation

File No.

Copy forwarded to Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector for".

P. D. SIWAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./187G/15]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. CEI/1/59/CEA/EI, dated the 20th September, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.